

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन शाखा)

-:अधिघोषणा :-

संख्या..... भू-अर्जन - 1316/रा: कटिहार, दिनांक - 20-05-13

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मौजा सिरन्डा थाना नं० 180 थाना प्राणपुर जिला कटिहार में सार्वजनिक परियोजनार्थ मौजा सिरन्डा के अन्तर्गत 44.330 कि०मी० से 45.00 कि०मी० तक राष्ट्रीय उच्च पथ निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजनार्थ पुर्वोक्त ग्राम सिरन्डा के भीतर एक भू खण्ड अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 1.62¹/₂ एकड़ (एक एकड़ साढ़े बासठ डिसमल) के बराबर होता है। मौजा सिरन्डा थाना नं० 180 जिसका खेसरा नं० 2200, 2201, 2203, 2204 एवं 2205 का अंश जिसका चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

मौजा - सिरन्डा थाना नं० 180


उत्तर :- मौजा सिरन्डा थाना नं० 180 का सर्वे खेसरा नं० 2200, 2201, 2203, 2204, एवं 2205
दक्षिण :- मौजा सिरन्डा थाना नं० 180 एवं मौजा प्राणपुर थाना नं० 268 का संयुक्त सीमा रेखा।
पूरब :- मौजा सिरन्डा थाना नं० 180 का सर्वे खेसरा नं० 2205 एवं खेसरा नं० 2212 एवं मौजा प्राणपुर थाना नं० 268
पश्चिम :- मौजा सिरन्डा थाना नं० 180 का सर्वे खेसरा नं० 2200 का पूर्व अर्जित भूमि।


भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाले कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों एवं खनिजों का केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपभोग में लाना आवश्यक हो तो ले लिये जायेंगे।


यह अधिघोषणा अधिनियम 1-1984 की धारा 6 और अधिनियम 18-1885 की धारा 3 खण्ड (1)के उपबंधो के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्सा भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


जिला भू-अर्जन पदाधिकारी कटिहार


अपर समाहर्ता कटिहार


समाहर्ता कटिहार

सरकार के अवर सचिव


ज्ञापांक.....1316/रा: दिनांक :- 20-05-13

प्रतिलिपि :- तीन अतिरिक्त प्रतियां सी० डी० के साथ, निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी कटिहार को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रभारी उप समाहर्ता जिला गजट कटिहार को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की पाँच प्रतियां जिला भू-अर्जन कार्यालय को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव